न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल के समक्ष

केवल कृष्ण-याचिकाकर्ता

बनाम

सरकारी खाद्य निरीक्षक, यूटी, चंडीगढ़ और अन्य- उत्तरदाता

आपराधिक मिस. की संख्या 3348-एम/1987

22 मार्च, 1991

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 21- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954- धारा 7, धारा 16 (एल) (ए) (आई), 9 (1), 21 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का आईएल) - धारा 482 - खाद्य निरीक्षक द्वारा दायर शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। मुकदमे- कार्यवाही रद्द।

अभिनिर्धारित किया कि, पिछले छह वर्षों से आपराधिक कार्यवाही का लंबित रहना मुख्य रूप से ट्रायल कोर्ट की ओर से लापरवाही के कारण है, जो संक्षिप्त परीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय वारंट प्रक्रिया का पालन करने में चूक करता है, निश्चित रूप से न केवल न्याय की विफलता और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि निषेध के समान भी है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का हकदार था, विशेष रूप से, जब मामले में आरोप अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत केवल तकनीकी अपराध के बराबर हैं।

(अनुच्छेद 6)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि याचिका को स्वीकार किया जाए और चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के अभियोजन को रद्द कर दिया जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि श्री डी. के. मोंगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित आगे की कार्यवाही पर इस याचिका का निर्णय आने तक रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आरके गर्ग।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए वकील सुनैध कश्यप के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल (मौखिक)

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत यह याचिका खाद्य निरीक्षक (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने से संबंधित है, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के साथ धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत अपराध करने से संबंधित याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने और इसके परिणामस्वरूप की गई कार्यवाही, के लिए दायर की गई है।

2. शिकायत (अनुबंध पी/एल) से प्राप्त इस याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह है कि 13 मार्च, 1985 को लगभग 11.30 बजे श्री बलबीर सिंह, खाद्य निरीक्षक वर्तमान याचिकाकर्ता के परिसर में गए और संबंधित नियमों के तहत अपेक्षित बिक्री के लिए पुष्ट पानी के नींबू का विधिवत नमूना लेने के बाद, जैसा कि संबंधित नियमों के तहत आवश्यक है, एक सीलबंद बोतल को एक सीलबंद पैकेट में फॉर्म VII में ज्ञापन की प्रति के साथ सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूने की सामग्री में निलंबित पदार्थ था और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से दूषित था। सामग्री में संबंधित नियम, 1955 के नियम 24 और 32 के तहत आवश्यक लेबल घोषणा के बिना टारट्राज़िनिया कोल्टर फूड कलर भी शामिल था।

3. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना गया।

4. निर्मल सिंह बनाम संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ मामले में इस न्यायालय के एकल पीठ प्राधिकार

को ध्यान में रखते हुए[1], याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्ति कि इस मामले में खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति अधिनियम की धारा 9(1) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा नहीं की गई थी या यह कि अभियोजन शुरू नहीं किया गया था, या अधिनियम की धारा 21 के तहत ऐसा करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा शुरू नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा 16 अप्रैल, 1985 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष शुरू हुआ जब खाद्य निरीक्षक ने ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज की और कहा कि उक्त ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसे अनावश्यक रूप से छह साल तक बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का हनन हुआ है और अनुच्छेद 21 के तहत निहित त्वरित सुनवाई के अंतर्निहित अधिकार से इनकार किया गया है। भारत का संविधान।

5. इस संबंध में मधेश्वरधारी सिंह और एक अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ प्राधिकरण पर भरोसा किया गया [2]है, जिसमें यह कहा गया था कि त्वरित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक का अहस्तांतरणीय मौलिक अधिकार है। यह भी फैसला सुनाया गया है कि मौत की सजा के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच और मूल मुकदमे में सात साल या उससे अधिक की कठोर और असाधारण रूप से लंबी देरी (जो किसी असाधारण या असाधारण कारण से नहीं हुई थी), संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सार्वजनिक सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती है।.

6. इस मामले में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने में अत्यधिक देरी मुख्य रूप से ट्रायल कोर्ट की ओर से लापरवाही के कारण हुई है, जिसने संक्षिप्त परीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय वारंट प्रक्रिया का पालन करने में गलती की, बिना कोई विशिष्ट आदेश पारित किए कि मामले की प्रकृति ऐसी थी कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पारित की जानी चाहिए थी। या, किसी अन्य कारण से इस मामले की सरसरी तौर पर

[1] 1990 (2) सी.सी. मामले (एचसी) 111.

[2] 1986 सी.आर.एल.जे. 1771.

सुनवाई करना अवांछनीय था, जैसा कि 1 अप्रैल, 1976 को लागू हुए अधिनियम की धारा 16 (2) के परंतुक 1 और 2 के तहत विचार किया गया था, ट्रायल कोर्ट में विवादित शिकायत दायर किए जाने से बहुत पहले। इस प्रकार, पिछले छह वर्षों से आपराधिक कार्यवाही का लंबित रहना निश्चित रूप से न केवल न्याय की विफलता और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के त्वरित परीक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है, खासकर जब तत्काल मामले में आरोप अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत केवल तकनीकी अपराध हैं। मुझे धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के एकल पीठ प्राधिकरण से मेरे विचार में समर्थन मिलता है[3]।

7. पूर्वगामी कारणों से, याचिकाकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में लंबित शिकायत अनुबंध पी/एल और परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है। तदनुसार इस याचिका को स्वीकार किया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा

[3] 1990 (2) सी.सी. मामले 287 (एचसी)।